मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 22 (ए) 143/एमपीएस/31/111   भोपाल, दिनांक 4/2/2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,

....

जल संसाधन विभाग
मध्यप्रदेश

विषय :– विधान सभा प्रश्नों के उत्तर प्रेषित करने बाबत्।

———————

मान. मंत्रीजी जल संसाधन विभाग से मुझें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अंतिम दिवस के 3 दिन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। आगामी विधान सभा सत्र दिनांक 18.02.2019 से 21.02.2019 तक होना निश्चित हुआ है। जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिनांक 14.02.2019 तक प्रेषित किया जाना है।

2. समस्त प्रश्नों के उत्तर शासन को निर्धारित समय–सीमा से एक सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उत्तर विधान सभा को भेजा जाएगा। उत्तर समयावधि में शासन को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसकी जवाबदारी संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री की रहेगी।

3. यह प्रक्रिया सभी विधान सभा सत्रों के लिए लागू रहेगी।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

(हस्ताक्षर) 04/2/19
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 22 (ए) 143/एमपीएस/31/112   भोपाल, दिनांक 4/2/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता/कमिश्नर काडा/मुख्य अभियंता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी जल संसाधन विभाग
3. अवर सचिव, स्थापना शाखा मंत्रालय,
4. समस्त शाखा, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(हस्ताक्षर) 04/2/19
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग